भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2790

उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

नशा मुक्त भारत अभियान

2790. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न राज्यों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के तीसरे चरण के लिए निर्धारित नए परिणाम-आधारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा लक्षित नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) अंतःक्षेपों के लिए उच्च जोखिम वाले जिलों की पहचान करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित डेटा विश्लेषण का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) महाराष्ट्र राज्य में चिह्नित ऐसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है और क्या देश के सभी सरकारी सहायता प्राप्त नशामुक्ति केंद्रों के लिए कोई अनिवार्य प्रमाणन प्रक्रिया कार्यान्वित की गई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के माध्यम से नशामुक्त व्यक्तियों को मुख्यधारा में पुनः शामिल करने के लिए किए जा रहे उपायों संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ङ) मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के पुनर्गठन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के 5वें वर्ष के आयोजन के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिकों को एकत्रित करने के लिए, प्रतिस्पर्धी और भागीदारी गतिविधियों की श्रृंखला के साथ एक राष्ट्रीय अभियान (1 अगस्त 2025 से नवंबर 2025 तक) आयोजित किया गया था जो सामूहिक रूप से 6.5 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा। जागरूकता सृजन संबंधी गतिविधियों की गति को आगे बनाए रखने के लिए, एनएमबीए के

अगस्त, 2025 के बाद निर्धारित नए परिणाम-आधारित लक्ष्यों में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

- नशा मुक्त भारत अभियान के युवाओं/मास्टर स्वयंसेवकों का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- साक्ष्य-आधारित सामग्री के साथ आईईसी उपकरणों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना
- संवेदनशील और जोखिम वाले समूहों के लिए लक्षित हस्तक्षेप का दृष्टिकोण।
- निरंतर प्रयासों के लिए नए विश्वास-आधारित/आध्यात्मिक संगठनों की भागीदारी
- संबंधित मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयी सहयोग और समन्वय
- गुणवत्तापूर्ण नशामुक्ति, उपचार, पुनर्वास और टेलीमेडिसिन सेवाएं।

(ख): इस विभाग ने नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी), एम्स को भारत में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की सीमा और पैटर्न पर दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा है ताकि भारत में विभिन्न नशीले पदार्थों का दुरुपयोग करने वाले लोगों और ऐसे लोगों की संख्या के अनुपात और निरपेक्ष संख्या का राष्ट्रीय, राज्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय अनुमान लगाया जा सके जो भारत में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग संबंधी विकारों (हानिकारक प्रयोक्ता और विभिन्न नशीले पदार्थों पर निर्भरता) से पीड़ित हैं और विशिष्ट जनसंख्या समूहों में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और इसके परिणाम के बारे में भी पता लगाया जा सके।

नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के तहत लक्षित हस्तक्षेपों के लिए उच्च जोखिम वाले जिलों की पहचान करने के लिए एआई-आधारित विश्लेषण एनडीडीटीसी, एम्स द्वारा किया जाता है।

(ग): देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या की भयावहता का आकलन करने और जानने के लिए, भारत में नशीले पदार्थों के सेवन की भयावहता पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी), एम्स के माध्यम से एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण किया गया था, जिसे 2019 में प्रकाशित किया गया था। हालांकि, इसने राज्यों के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर साइकोएक्टिव पदार्थों का दुरुपयोग करने वाले लोगों और नशीले पदार्थों से प्रभावित लोगों की संख्या/प्रतिशत के अनुमान के संदर्भ में परिणाम दिए थे। यह कार्यप्रणाली जिलों के स्तर या किसी अन्य उप-राज्य स्तर पर डेटा प्रदान करने के लिए नहीं थी।

देश भर में नशीले पदार्थों की लत के उपचार की सुविधाओं के मानकीकरण और गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से, सरकार से अनुदान मांगने या प्राप्त करने वाले किसी भी संगठन को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है और

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों से सिफारिश प्राप्त करनी होगी। यह सिफारिश केवल तभी जारी की जाती है जब संगठन ने सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पूरी तरह से पालन किया हो।

इसके अलावा, प्रत्येक सहायता अनुदान संस्थान (जीआईए) को एनएपीडीडीआर दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय द्वारा चिह्नित संगठनों से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे संगठनों के लिए प्रत्यायन प्रक्रिया वर्तमान में राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) के माध्यम से चल रही है।

(घ): सार्थक आजीविका कार्यकलापों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु एकीकृत पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए) और जिला नशामुक्ति केन्द्र (डीडीएसी) सहित सहायता अनुदान संस्थां (जीआईए) के माध्यम से कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नशीले पदार्थों के सेवन करने वालों की आजीविका सहायता के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विभाग कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग और अन्य मंत्रालयों/विभागों और अन्य एजेंसियों/संस्थानों के साथ मिलकर नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े आध्यात्मिक संगठनों सहित उपरोक्त गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग द्वारा सहायता प्राप्त नशामुक्ति केन्द्रों के लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ङ): नशीले पदार्थों की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना के पुनर्गठन के लिए, विभाग द्वारा कई हितधारकों- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, गैर-सरकारी संगठनों/सीबीओ और जीआईए, विशेषज्ञों तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और कारागार आदि सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ चिंतन शिविरों और क्षेत्रीय समीक्षा/परामर्श सहित परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। सतत प्रयासों के लिए, एनएपीडीडीआर दिशानिर्देशों के पुनर्निमाण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है।

अनुलग्नक -I

"नशा मुक्त भारत अभियान" के संबंध में श्री नीलेश ज्ञानदेव लंके और डॉ. शिवाजी बंदप्पा कलगे द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2790, जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग द्वारा समर्थित नशामुक्ति केंद्रों के लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार विवरण इस प्रकार है-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
1	आंध्र प्रदेश	20036	48094	76061
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	5	0	0
4	असम	26869	40328	36674
5	बिहार	1487	1639	29429
6	चंडीगढ़	1145	5440	5465
7	छत्तीसगढ़	17262	16742	16848
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	182	187	192
9	दिल्ली	26635	44454	41000
10	गोवा	0	0	0
11	गुजरात	1607	17658	20824
12	हरियाणा	6893	6790	6550
13	हिमाचल प्रदेश	3207	2683	3218
14	जम्मू-कश्मीर	9774	31432	35948
15	झारखंड	194	190	11515
16	कर्नाटक	7179	7501	8248
17	केरल	10385	12747	12943
18	लद्दाख	0	0	1138
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	55461	78015	100472
21	महाराष्ट्र	8705	10347	28739
22	मणिपुर	10313	18920	32528
23	मेघालय	196	417	627

24	मिजोरम	2196	8790	8931
25	नागालैंड	1293	2556	6757
26	उड़ीसा	32241	39965	48306
27	पुडुचेरी	463	4628	4571
28	पंजाब	11239	11486	11603
29	राजस्थान	28982	52713	71355
30	सिक्किम	165	114	294
31	तमिलनाडु	3668	15938	44271
32	तेलंगाना	6174	6995	12032
33	त्रिपुरा	416	0	0
34	उत्तर प्रदेश	31041	71721	96749
35	उत्तराखंड	5230	5537	5472
36	पश्चिम बंगाल	8942	17786	20133
	कुल	**339585**	**581813**	**798893**

*****